(b) Yes, Sir, but due to severe constraint of resources, the Railways are not considering creation of any new Division for the present.

Production of apples

2748. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that apple production in the country is as low as 8 tons per hectare as against 30 tons in Western countries;

(b) the per hectare production of apple in apple producing States in the country;

(c) the quantity of apples exported during the last three years;

(d) the step being taken to increase the production of apples in apple producing States; and

(e) the results achieved so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) Apple being a non-forecast crop, official estimates on per hectare production of apple in various States are not available. However, as per rough estimates, per hectare production of apple in the country is low as compared to that in some other countries. Rough estimates of per hectare production of apple in important States are as follows:

(in tonnes)

State	Per hectare production of apple (1987-88)
1. Jammu and Kashmir	6.33
2. Uttar Pradesh	3.27
3. Himachal Pradesh	4.71

(c) The Quantity of apples exported during 1985-86 to 1987-88 is as follows.

in tonnes

Year	Quantity exported
1985-86	4443
1986-87	6101
1987-88	4038

(d) and (e) Various steps such as production and supply of good planting material, demonstration of improved agro-techniques, introduction of spur varieties of apple, supply of inputs at subsidised rates, adoption of plant protection measures, etc. are being taken for increasing production of apples in apple producing States.

Due to various steps taken by Government, area under apple cultivation has increased.

Printing 100 per cent vegetarian on food packets

2749. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that numerous representations have been received by Government to ask manufac

turers of food packets to print on these packs that the contents in the food packets are 100 per cent vegetarian; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to implement this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) No such representations have been received in the Union Ministry of Food and Civil Supplies.

(b) Does not arise. Moreover, printing of information on the food packet that its contents are 100 per cent vegetarian is outside the scope of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 and the corresponding Rules, namely, the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules framed thereunder.

राज्यों को खाद्य तेलों का आवंटन

2750. **श्री अजीत जोगी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेल वर्ष 1988–89 और 1989–90 के वर्ष में आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य को प्रतिमाह कितना–कितना खाद्य तेल आवंटित किया गया तथा उन्हें प्रतिमाह वास्तव में कितना-कितना खाद्य तेल उपलब्ध कराया गया ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को आवंटित की गयी खाद्य तेलों की मात्रा उन्हें वास्तव में उपलब्ध करायी गयी थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और और क्या भविष्य में खाद्य तेलों की प्रतिमाह आवंटित मात्रा को उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा ; और

(ग) राज्यों को खाद्य तेल किस किस आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है ; क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न मान दण्ड अपनाये जाते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या इस प्रयोजन के लिये समानता का व्यवहार किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) तेल वर्ष 1988–89 और 1989–90 के दौरान राज्यों को आवंटित की गयी आयातित खाद्य तेलों की मात्रा तथा उनके द्वारा उठाई गयी मात्रा दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं (देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र सं. 94)।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की आवंटित मात्रा राज्य व्यापार निगम या हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल्स कारपोरेशन एकक के प्राधिकृत डिपों से उठानी पड़ती है। जब कभी प्राधिकृत डिपो पर तेल उपलब्ध नहीं होता है, तब अन्तरिम उपाय के रूप में राज्य सरकारों से किसी अन्य डिपों से तेल उठाने का अनुरोध किया जाता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान टिन–प्लेटों के उपलब्ध न होने, बन्दरगाहों पर खाद्य तेल के जहाजों के पहुंचान में देरी होने और तेल की ढुलाई के लिये "रेक" उपलब्ध न होने के कारण कुछ राज्यों के आवंटन में बाधा उत्पन्न हुई ऐसे मामलों में आवंटन उठाने के लिये समयावधि बढ़ाकर राज्यों को तेल उठाने के लिये अधिक समय दिया जाता है।

(ग) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का आवंटन, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उचित मांग, आयात के लिये प्राधिकृत मात्रा, खुले बाजार में देशीय खाद्य तेल के मूल्य, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तेल उठाने की गति तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता की अनुपूर्ति करना होता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का